

अध्याय - I

विहंगावलोकन

अध्याय-I

विहंगावलोकन

1.1 राज्य की रूपरेखा

उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश देश का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य एवं तीसरी सबसे बड़ी राज्य अर्थव्यवस्था है। राज्य में हर तीन कामगारों में से दो कृषि क्षेत्र¹ में कार्य करते हैं। उत्तर प्रदेश दलहन, दुग्ध, गेहूँ, धान, गन्ना, मक्का, आलू, आम, चमड़ा और हस्तशिल्प का प्रमुख उत्पादक है। वर्ष 2019-20 के दौरान में राज्य की प्रति व्यक्ति आय² वर्तमान मूल्यों पर ₹ 65,704 थी जो भारत की प्रति व्यक्ति आय (₹ 1,34,226) से 51 प्रतिशत कम थी।

तालिका 1.1: सामान्य आंकड़े

क्रम संख्या	विवरण	आंकड़े
1	क्षेत्रफल	2,40,928 वर्ग किमी
2	जनसंख्या	
	अ. जनगणना 2011 (1 मार्च 2011 को)	19.98 करोड़
	ब. वर्ष 2021 हेतु अनुमानित (1 मार्च 2021 को)	23.09 करोड़
3	जनसंख्या का घनत्व (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	829 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी
4	दशकीय जनसंख्या वृद्धि ³ (2011 से 2021)	उत्तर प्रदेश अखिल भारत (केंद्र शासित सहित)
		15.17 प्रतिशत 12.30 प्रतिशत
5	साक्षरता (2011 की जनगणना के अनुसार) (अखिल भारतीय औसत = 73 प्रतिशत)	67.7 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर ⁴ (प्रति 1000 जीवित जन्म) (अखिल भारतीय औसत = 30 प्रति 1000 जीवित जन्म)	41
7	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ⁵ (अखिल भारतीय औसत = 69.4 वर्ष)	65.3 वर्ष
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) वर्तमान मूल्यों पर	₹ 17,05,593 करोड़
9	प्रति व्यक्ति जीएसडीपी चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) (2011-12 से 2020-21)	उत्तर प्रदेश अखिल भारत (केंद्र शासित सहित)
		8.27 प्रतिशत 8.08 प्रतिशत
10	जीएसडीपी सीएजीआर (2011-12 से 2020-21)	उत्तर प्रदेश अखिल भारत (केंद्र शासित सहित)
		9.99 प्रतिशत 9.48 प्रतिशत
11	गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या (बीपीएल) ⁶ (2011-12) (अखिल भारतीय औसत = 21.92 प्रतिशत)	29.43 प्रतिशत

¹ <http://up.gov.in/Social-Demography.pdf> (राज्य में मानव शक्ति 23.7 प्रतिशत है जिसमें से 65.9 प्रतिशत कृषक एवं 5.6 प्रतिशत औद्योगिक कामगार हैं)

² आर्थिक एवं सांख्यिकी प्रभाग, राज्य योजना संस्थान, योजना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा प्रकाशित उत्तर प्रदेश सांख्यिकी डायरी 2020 के त्वरित अनुमान।

³ राज्य की अनुमानित जनसंख्या अक्टूबर 2011 के 20.17 करोड़ से बढ़कर अक्टूबर 2021 में 23.23 करोड़ हो गई : भारत और राज्यों के लिए जनसंख्या प्रक्षेपण 2011-2036, राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग द्वारा जनसंख्या पर गठित तकनीकी समूह की जनसंख्या प्रक्षेपण रिपोर्ट (जुलाई 2020), तालिका 14।

⁴ नमूना पंजीकरण प्रणाली (एसआरएस) बुलेटिन, अक्टूबर 2021 (वर्ष 2019 के लिए), भारत के महापंजीयक का कार्यालय।

⁵ कार्यालय महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित एसआरएस आधारित संक्षिप्त जीवन तालिका 2014-18 (सितम्बर 2020)।

⁶ भारतीय रिज़र्व बैंक, भारत की अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकी हस्तपुस्तिका 2020-21 (तालिका 151)

1.1.1 राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद

सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) एक निश्चित समय अवधि में राज्य की सीमाओं के भीतर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। जीएसडीपी की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को दर्शाता है। वर्तमान मूल्यों पर भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) और राज्य के जीएसडीपी की वार्षिक वृद्धि की प्रवृत्ति तालिका 1.2 में दी गयी है।

तालिका: 1.2 वर्तमान मूल्यों पर भारत की जीडीपी एवं राज्य की जीएसडीपी (2011-12 श्रेणी)⁷

(₹ करोड़ में)


वर्ष	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
भारत की जीडीपी	1,53,91,669	1,70,90,042	1,88,86,957	2,03,51,013	1,97,45,670
विगत वर्ष के सापेक्ष जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.76	11.03	10.51	7.75	(-2.97)
राज्य की जीएसडीपी	12,88,700	14,16,006	15,84,764	16,87,818	17,05,593
विगत वर्ष के सापेक्ष जीएसडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	13.26	9.88	11.92	6.50	1.05

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

राज्य की जीएसडीपी की वृद्धि दर में घटने की प्रवृत्ति रही एवं यह वर्ष 2018-19 के 11.92 प्रतिशत से वर्ष 2020-21 में 1.05 प्रतिशत हो गयी।

अर्थव्यवस्था की बदलती संरचना को समझने के लिए जीएसडीपी में क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। आर्थिक गतिविधि को सामान्यतया प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्रों से संबंध रखते हैं। 2020-21 में जीएसडीपी से क्षेत्रीय योगदान की 2016-17 के उसी के साथ और इस अवधि में क्षेत्रीय वृद्धि की तुलनात्मक स्थिति क्रमशः चार्ट 1.1 एवं चार्ट 1.2 में दी गई है।

चार्ट 1.1: 2016-21 की अवधि में जीएसडीपी से क्षेत्रीय योगदान में परिवर्तन




स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार (02.08.2021 को आर्थिक क्रियाओं द्वारा 2011-12 श्रेणी पर जीएसडीपी/एनएसवीए)

नोट: कृषि (प्राथमिक) क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, वानिकी, मत्स्य पालन, खनन एवं उत्खनन आदि सम्मिलित हैं; उद्योग (द्वितीयक) क्षेत्र में विनिर्माण, बिजली, गैस, जल आपूर्ति तथा अन्य उपयोगिता सेवायें एवं निर्माण सम्मिलित हैं तथा सेवा (तृतीयक) क्षेत्र में व्यापार, होटल और रेस्तरां, परिवहन, भंडारण, संचार, वित्त सेवायें, बीमा, भू-सम्पदा, लोक प्रशासन एवं अन्य सेवायें सम्मिलित हैं।

⁷ वर्ष 2016-17 से 2019-20 के लिए वर्तमान मूल्यों पर जीडीपी और जीएसडीपी को केंद्र/राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया जाता है, अतः पूर्ववर्ती राज्य वित्त लेखा प्रतिवेदनों में 2016-17 से 2019-20 के जीडीपी/जीएसडीपी के सन्दर्भ में दर्शाए गए प्रतिशत अनुपात/उछाल अनुपात भी संशोधित हो गए हैं।

चार्ट 1.2 : 2016-21 की अवधि में क्षेत्रवार वृद्धि दर



स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार

उपरोक्त चार्ट से यह स्पष्ट है कि राज्य की जीएसडीपी में सेवा क्षेत्र सबसे बड़ा योगदानकर्ता (44.23 प्रतिशत) था जिसके बाद कृषि क्षेत्र (24.83 प्रतिशत) एवं औद्योगिक क्षेत्र (21.37 प्रतिशत) थे। तथापि, वर्ष 2018-19 के बाद सेवा क्षेत्र एवं औद्योगिक क्षेत्र की वृद्धि दर में कमी की प्रवृत्ति दिखी जिससे राज्य की जीएसडीपी वृद्धि दर में वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 में कमी की प्रवृत्ति हुई।

वर्ष 2020-21 के दौरान देश की अर्थव्यवस्था कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित हुई और देश की जीडीपी में 2.97 प्रतिशत की कमी आई। आर्थिक परिदृश्य पर कोविड-19 महामारी के प्रभाव ने वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य की जीएसडीपी विकास दर पर प्रतिकूल प्रभाव डाला हालांकि राज्य के जीएसडीपी में 1.05 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इनका राज्य के स्वयं कर राजस्व एवं केंद्रीय कर हस्तांतरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा साथ ही राज्य के राजकोषीय मानकों पर भी सहवर्ती प्रभाव पड़ा। वर्ष 2006-07 से लगातार 14 वर्षों के राजस्व अधिशेष के बाद राज्य में वर्ष 2020-21 के दौरान 2,367.13 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा दर्ज हुआ जैसा कि इस प्रतिवेदन के प्रस्तर 1.4.1 और अध्याय II में वर्णित है।

1.2 राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का आधार और दृष्टिकोण

भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अनुसार, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (सीएजी) का किसी राज्य के लेखे से सम्बन्धित प्रतिवेदन उस राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत किया जाता है, जो उसे राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करायेंगे। राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (एसएफएआर) भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 (2) के अन्तर्गत तैयार और प्रस्तुत किया जाता है।

लेखे के रखरखाव के लिए उत्तरदायी राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन कार्य करने वाले कोषागारों, कार्यालयों और विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए वाउचर, चालान और प्रारंभिक और सहायक लेखे तथा भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त विवरणों के आधार पर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रति वर्ष राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं। महालेखाकार (लेखापरीक्षा) द्वारा इन लेखे की स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा की जाती है और उन्हें सीएजी द्वारा प्रमाणित किया जाता है।

राज्य के वित्त लेखे, विनियोग लेखे और राज्य के बजट अभिलेखों से प्रतिवेदन हेतु मुख्य आंकड़े प्राप्त होते हैं। अन्य स्रोतों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

- महालेखाकार (लेखापरीक्षा) कार्यालय द्वारा की गयी लेखापरीक्षा के परिणाम;
- विभागीय प्राधिकारियों और कोषागारों के अन्य आंकड़े (लेखांकन एवं एमआईएस); तथा
- जीएसडीपी आंकड़े और राज्य से संबंधित अन्य सांख्यिकी।

चौदहवें एवं पन्द्रहवें वित्त आयोग की संस्तुतियों, समय-समय पर संशोधित उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (यूपीएफआरबीएम) अधिनियम, 2004, बजट अनुमानों के साथ मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति (एमटीएफआरपी), सर्वोत्तम प्रथाओं एवं भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में भी विश्लेषण किया गया। मसौदा प्रतिवेदन 27 अक्टूबर 2021 को टिप्पणियों हेतु राज्य सरकार को प्रेषित किया गया। राज्य सरकार के उत्तर प्रतीक्षित (मार्च 2022) हैं।

1.3 प्रतिवेदन की संरचना

एसएफएआर को निम्नलिखित छः अध्यायों में संरचित किया गया है:

अध्याय - I	<p>विहंगावलोकन</p> <p>यह अध्याय प्रतिवेदन के आधार एवं दृष्टिकोण तथा अन्तर्निहित आंकड़ों का वर्णन करता है एवं शासकीय लेखे की संरचना, बजटीय प्रक्रियाओं, प्रमुख सूचकांकों के सूक्ष्म राजकोषीय विश्लेषण एवं घाटे/अधिशेष सहित राज्य की राजकोषीय स्थिति का विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है।</p>
अध्याय - II	<p>राज्य के वित्त</p> <p>यह अध्याय राज्य के वित्त का व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत करता है तथा विगत वर्ष की तुलना में प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में महत्वपूर्ण परिवर्तनों, 2016-17 से 2020-21 की अवधि के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य के ऋण की वस्तुस्थिति एवं राज्य के वित्त लेखे पर आधारित लोक लेखे के प्रमुख संव्यवहारों का विश्लेषण करता है।</p>
अध्याय - III	<p>बजटीय प्रबंधन</p> <p>यह अध्याय राज्य के विनियोग लेखे पर आधारित है एवं राज्य सरकार के विनियोग एवं आवंटन प्राथमिकताओं की समीक्षा करता है तथा बजटीय प्रबंधन से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों से विचलन पर विवरण प्रस्तुत करता है। बजटीय और लेखांकन प्रक्रिया की सत्यनिष्ठा एवं प्रभावशीलता के संबंध में टिप्पणियों जैसे पूंजीगत और राजस्व के बीच व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण एवं इसके विपरीत, व्ययाधिक्य और उसका नियमितीकरण, सतत बचतें, बचतों का विलंबित अभ्यर्पण, अनावश्यक पुनर्वियोजन से संबंधित टिप्पणियों को सम्मिलित किया गया है।</p>
अध्याय - IV	<p>लेखे की गुणवत्ता और वित्तीय रिपोर्टिंग परम्परायें</p> <p>यह अध्याय राज्य सरकार के विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तुत किए गए लेखे की गुणवत्ता और राज्य सरकार के विभिन्न विभागीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित वित्तीय नियमों और विनियमों के गैर-अनुपालन के मुद्दों पर टिप्पणी करता है। प्रकटीकरण से संबंधित मुद्दों के साथ-साथ लेखे की पूर्णता, पारदर्शिता और माप के सम्बन्ध में टिप्पणियों को सम्मिलित किया गया है।</p>

अध्याय -V	राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन यह अध्याय राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के वित्तीय प्रदर्शन, पीएसयू में निवेश, पीएसयू को बजटीय सहायता, इक्विटी पर प्रतिफल, पूंजी निवेश पर प्रतिफल, पीएसयू के निवल मूल्य का क्षरण आदि के बारे में चर्चा करता है।
अध्याय - VI	भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की निरीक्षण भूमिका यह अध्याय राज्य के पीएसयू द्वारा लेखाओं के प्रस्तुतीकरण की स्थिति, पीएसयू के लेखाओं को अन्तिम रूप नहीं देने के प्रभाव, सीएजी द्वारा पीएसयू के वार्षिक लेखाओं की पूरक/एकल लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप निर्गत की गयी महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ इत्यादि को प्रस्तुत करता है।

1.4 शासकीय लेखे की संरचना और बजटीय प्रक्रियाओं का विहंगावलोकन

राज्य सरकार के लेखे को तीन भागों में रखा जाता है:

i. राज्य की संचित निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 266 (1))

इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा लिए गए सभी ऋण (बाजार ऋण, बांड, केंद्र सरकार से ऋण, वित्तीय संस्थानों से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत कोष को निर्गत विशेष प्रतिभूतियां, आदि), भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिम और ऋण के पुनर्भुगतान में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन सम्मिलित हैं। इस निधि से धन को विधि और भारत के संविधान द्वारा प्रावधानित उद्देश्यों एवं तरीके के अतिरिक्त विनियोजित नहीं किया जा सकता है। व्यय की कुछ श्रेणियां (जैसे, संवैधानिक प्राधिकारियों का वेतन, ऋण पुनर्भुगतान आदि) राज्य की संचित निधि पर एक प्रभार (भारित व्यय) होती हैं तथा विधायिका द्वारा मत के अधीन नहीं होती हैं। अन्य सभी व्यय (मतदेय व्यय) पर विधायिका द्वारा मतदान किया जाता है।

ii. राज्य की आकस्मिक निधि (भारत के संविधान का अनुच्छेद 267(2))

यह निधि एक अग्रदाय प्रकृति की है जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा विधि द्वारा स्थापित किया गया है, तथा राज्य विधानमंडल द्वारा व्यय का प्राधिकार लंबित रहने की दशा में अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए अग्रिम प्रदान किये जाने हेतु राज्यपाल के निर्वर्तन पर रखी जाती है। निधि की प्रतिपूर्ति राज्य की संचित निधि के सम्बन्धित कार्यात्मक मुख्य लेखा शीर्ष के नामे व्यय को लेखांकित कर की जाती है।

iii. राज्य का लोक लेखा (संविधान का अनुच्छेद 266 (2))

उपरोक्त के अतिरिक्त, जहां सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है, सरकार द्वारा अथवा उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन को लोक लेखे में जमा किया जाता है। लोक लेखे में प्रतिदेय जैसे लघु बचत और भविष्य निधि, निक्षेप (ब्याज सहित और ब्याज रहित), अग्रिम, आरक्षित निधि (ब्याज सहित और ब्याज रहित), प्रेषण और उचंत शीर्ष (दोनों जो कि अस्थायी शीर्ष हैं जिनका अंतिम लेखांकन लंबित है) सम्मिलित हैं। सरकार के पास उपलब्ध शुद्ध नकद शेष भी लोक लेखा के अन्तर्गत सम्मिलित होता है। लोक लेखा विधायिका के मत के अधीन नहीं है।

भारत में यह एक संवैधानिक आवश्यकता है (अनुच्छेद 202) कि राज्य के विधानमंडल के सदन अथवा सदनों के समक्ष प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में सरकार की अनुमानित

प्राप्तियों और व्ययों का विवरण प्रस्तुत किया जाय। यह 'वार्षिक वित्तीय विवरण' मुख्य बजट अभिलेख बनता है। अग्रेतर, बजट में राजस्व लेखे पर व्यय को अन्य व्ययों से पृथक प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

राजस्व प्राप्तियों में स्वयं का कर-राजस्व, गैर-कर राजस्व, संघ करों/शुल्कों का अंश, और भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।

राजस्व व्यय में सरकार के वे सभी व्यय, जिनके परिणामस्वरूप भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का निर्माण नहीं होता है, सम्मिलित होते हैं। यह सरकारी विभागों और विभिन्न सेवाओं के सामान्य कार्यकलापों, सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर ब्याज भुगतान, और विभिन्न संस्थानों को दिए गए अनुदान (यद्यपि कुछ अनुदान संपत्तियों के निर्माण के लिए हों) हेतु किए गए व्ययों से संबंधित है।

पूंजीगत प्राप्तियों में निम्न सम्मिलित हैं:


- **ऋण प्राप्तियां:** बाजार ऋण, बांड, वित्तीय संस्थानों से ऋण, अर्थोपाय अग्रिम, केंद्र सरकार से ऋण और अग्रिम, आदि;
- **गैर-ऋण प्राप्तियां:** विनिवेश से प्राप्त आय, ऋणों और अग्रिमों की वसूली आदि; **पूंजीगत व्यय** में भूमि अधिग्रहण, भवन, मशीनरी, उपकरण, शेरों में निवेश और सरकार द्वारा पीएसयू एवं अन्य इकाईयों को ऋण और अग्रिम पर व्यय सम्मिलित हैं।

वर्तमान में सरकार में एक लेखांकन वर्गीकरण प्रणाली है जो कार्यात्मक और आर्थिक दोनों है।

	संव्यवहार की विशेषता	वर्गीकरण
लेखा महानियंत्रक (सीजीए) द्वारा जारी मुख्य और लघु शीर्ष की केन्द्र एवं राज्य के लेखों की सूची (एलएमएमएच) में मानकीकृत	कार्य- शिक्षा, स्वास्थ्य, आदि/विभाग	अनुदानों के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष (4-अंकीय)
	उप-कार्य	उप मुख्य शीर्ष (2-अंकीय)
	कार्यक्रम	लघु शीर्ष (3-अंकीय)
राज्यों हेतु छोड़ी गयी नम्यता	योजना	उप शीर्ष (2-अंकीय)
	उप योजना	विस्तृत शीर्ष (2-अंकीय)
	आर्थिक प्रकृति/गतिविधि	मानक मद -वेतन, लघु कार्य, आदि (2-अंकीय)

कार्यात्मक वर्गीकरण विभाग, कार्य, योजना या कार्यक्रम और व्यय के मद की पहचान करने में सहायता करता है। आर्थिक वर्गीकरण इन भुगतानों को राजस्व, पूंजीगत, ऋण आदि के रूप में व्यवस्थित करने में सहायता करता है। आर्थिक वर्गीकरण 4-अंकीय मुख्य शीर्षों के प्रथम अंक में सन्निहित आंकिक तर्क द्वारा प्राप्त होता है। मानक मद बजट अभिलेखों में विनियोग की प्राथमिक इकाई है।

चार्ट 1.3 शासकीय लेखे की संरचना



वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश द्वारा राज्य सरकार के लेन देन को वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में पुस्तानुबद्ध किया जाता है:

राज्य के वित्त लेखे वर्ष के लिए सरकार की प्राप्तियों और निर्गमों के लेखे के साथ राजस्व और पूंजीगत लेखे द्वारा प्रदर्शित वित्तीय परिणाम और लेखे में अंकित शेष राशि से निकाली गयी राज्य सरकार के सार्वजनिक ऋण, देयता और परिसंपत्तियों को प्रस्तुत करते हैं। वित्त लेखे सामान्यतः (कुछ अपवादों के साथ) लघु शीर्ष तक के लेन-देन को दर्शाते हैं। वित्त लेखे में आंकड़े निवल स्तर तक, अर्थात् वसूलियों को व्यय में कमी के रूप में लेखांकन के पश्चात दर्शाए जाते हैं।

विनियोग लेखे भारत के संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 के अन्तर्गत पारित विनियोग अधिनियम से जुड़ी अनुसूचियों में निर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों के लिए मतदेय अनुदानों और भारत विनियोगों की राशियों की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए सरकार के व्यय के लेखे होते हैं। विनियोग लेखे सकल आधार पर होते हैं। यह लेखे निधियों के उपयोग को समझने में सहायता करते हैं, वित्त प्रबंधन एवं बजटीय प्रावधानों की निगरानी करते हैं अतः वित्त लेखों के पूरक हैं।

बजटीय प्रक्रियाएं

भारत के संविधान के अनुच्छेद 202 के अनुसार, राज्य के राज्यपाल एक **वार्षिक वित्तीय विवरण** के रूप में राज्य विधानमंडल के समक्ष वर्ष के लिए राज्य की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण प्रस्तुत कराते हैं। अनुच्छेद 203 के अनुसार उक्त विवरण राज्य विधानमंडल को अनुदानों हेतु मांगों/विनियोगों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है और इनके अनुमोदन के पश्चात विनियोग विधेयक को विधानमंडल द्वारा वांछित धन के

संचित निधि से विनियोग का प्रावधान करने हेतु अनुच्छेद 204 के अंतर्गत पारित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल बजट निर्माण प्रक्रिया का विवरण देता है और राज्य सरकार को उसके बजटीय अनुमान तैयार करने और उसकी व्यय गतिविधियों के अनुश्रवण में मार्गदर्शन प्रदान करता है। बजट की लेखापरीक्षा संवीक्षा के परिणाम तथा राज्य सरकार की अन्य बजटीय पहलों के क्रियान्वयन का विवरण इस प्रतिवेदन के अध्याय III में दिया गया है।

1.4.1 वित्त का आशुचित्र

तालिका 1.3 वर्ष 2020-21 के बजट अनुमानों, वास्तविक वित्तीय परिणामों का 2019-20 के वास्तविक परिणामों के साथ विवरण प्रदान करती है।

तालिका 1.3: बजट अनुमानों के सापेक्ष 2020-21 के वास्तविक आंकड़ें

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	घटक	2019-20 (वास्तविक)	2020-21 (बजट अनुमान)	2020-21 (वास्तविक)	2020-21 वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	2020-21 वास्तविक का जीएसडीपी से प्रतिशत
1.	स्वयं का कर राजस्व	1,22,825.83	1,66,021.00	1,19,897.30	72.22	7.03
2.	गैर-कर राजस्व	81,705.08	31,178.93	11,846.15	37.99	0.69
3.	संघीय करों/ शुल्कों का अंश	1,17,818.30	1,52,863.17	1,06,687.01	69.79	6.26
4.	भारत सरकार द्वारा सहायता अनुदान	44,043.97	72,504.73	57,745.87	79.64	3.39
5.	राजस्व प्राप्तियां (1+2+3+4)	3,66,393.18	4,22,567.83	2,96,176.33	70.09	17.37
6.	ऋण और अग्रिम की वसूली (गैर ऋण पूंजीगत प्राप्ति)	5,640.58	2,200.00	1,134.73	51.58	0.07
7.	सार्वजनिक ऋण प्राप्तियां	73,808.69	75,790.70	86,858.87	114.60	5.09
8.	पूंजीगत प्राप्तियां (6+7)	79,449.27	77,990.70	87,993.60	112.83	5.16
9.	कुल प्राप्तियां (5+8)	4,45,842.45	5,00,558.53	3,84,169.93	76.75	22.52
10.	राजस्व व्यय जिसमें से	2,98,833.04	3,95,116.95	2,98,543.46	75.56	17.50
11.	ब्याज भुगतान	34,813.02	38,091.26	37,428.48	98.26	2.19
12.	पूंजीगत व्यय जिसमें से	62,118.03	82,846.34	53,389.71	64.44	3.13
13.	पूंजीगत परिव्यय	59,998.03	81,209.49	52,237.10	64.32	3.06
14.	ऋण और अग्रिमों का संवितरण	2,120.00	1,636.85	1,152.61	70.42	0.07
15.	कुल व्यय (10+12)	3,60,951.07	4,77,963.29	3,51,933.17	73.63	20.63

क्रम संख्या	घटक	2019-20 (वास्तविक)	2020-21 (बजट अनुमान)	2020-21 (वास्तविक)	2020-21 वास्तविक का बजट अनुमान से प्रतिशत	2020-21 वास्तविक का जीएसडीपी से प्रतिशत
16.	राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+) (5-10)	67,560.14	27,450.88	(-)2,367.13	-	0.14
17.	राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) (5+6-15)	11,082.69	(-)53,195.46	(-)54,622.11	102.68	3.20
18.	प्राथमिक घाटा (-) / अधिशेष ⁸ (+) {(5+6)- (15-11)}	45,895.71	(-)15,104.20	(-)17,193.63	113.83	1.01

स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे एवं राज्य सरकार के बजट अभिलेख

वर्ष 2019-20 के दौरान ₹ 67,560.14 करोड़ का राजस्व अधिशेष एवं ₹ 11,082.69 करोड़ का राजकोषीय अधिशेष मुख्य रूप से बिना वास्तविक नकद प्राप्ति के निक्षेप निधि से ₹ 71,180.23 करोड़ के पुस्तकीय अवशेष के राज्य की राजस्व प्राप्तियों को हस्तांतरण के कारण था। वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य ने ₹ 2,367.13 करोड़ एवं ₹ 54,622.11 करोड़ का क्रमशः राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा दर्ज किया था। यहां यह उल्लेखनीय होगा कि राज्य वर्ष 2006-07 से राजस्व अधिशेष में था। राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए संशोधित अनुमान (बजट दस्तावेज़ 2021-22) प्रस्तुत करते हुए राज्य में लॉकडाउन को वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य के राजस्व को प्रभावित करने का एक मुख्य कारण बताया। इसके अतिरिक्त, पिछले वर्ष 2019-20 की तुलना में राज्य ने अधिक निधि (17.68 प्रतिशत वृद्धि) उधार ली थी, जबकि राज्य का कुल व्यय पिछले वर्ष की तुलना में कुछ (2.50 प्रतिशत) कम था।

जैसा कि प्रस्तर 2.4.2.2 में बताया गया है, वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान, जो राज्य की एक राजस्व प्राप्ति है, के मामले में राज्यों को क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। तथापि, वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व प्राप्तियों के रूप में ₹ 9,323.98 करोड़ का जीएसटी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के अलावा, राज्य सरकार को जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में अपर्याप्त शेष के कारण जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले में भारत सरकार से ₹ 6,007.00 करोड़ की ऋण प्राप्तियां (बैंक-टू-बैंक ऋण) भी प्राप्त हुईं। इस ऋण की अदायगी जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि⁹ में उपकर के संग्रह से की जाएगी इसलिए, अदायगी दायित्व को राज्य के अन्य संसाधनों से पूरा नहीं किया जाएगा। इस व्यवस्था के कारण, वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 2,367.13 करोड़ के राजस्व घाटे एवं ₹ 54,622.11 करोड़ के राजकोषीय घाटे को जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले ₹ 6,007.00 करोड़ की ऋण प्राप्ति के संयोजन के साथ पढ़ा जा सकता है।

1.4.2 सरकार की संपत्तियों और देयताओं का आशुचित्र

शासकीय लेखे सरकार के वित्तीय देयताओं और किए गए व्यय से निर्मित संपत्तियों को दर्शाते हैं। देयताओं में मुख्य रूप से आंतरिक ऋण, भारत सरकार से ऋण और अग्रिम, लोक लेखे और आरक्षित निधियों से प्राप्तियां सम्मिलित होती हैं, और संपत्तियों में मुख्य रूप से पूंजीगत परिव्यय और राज्य सरकार द्वारा दिए गए ऋण व अग्रिम एवं नकद शेष सम्मिलित होते हैं।

⁸ प्राथमिक घाटा/अधिशेष राजकोषीय घाटा से ब्याज अदायगियां हटाकर संदर्भित है।

⁹ जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि, भारत के लोक लेखे का भाग है जैसा कि वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 10(1) में दिया गया है।

31 मार्च 2020 की तुलना में 31 मार्च 2021 को देयताओं और संपत्तियों का सार तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4: परिसंपत्तियों एवं देयताओं की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

दायित्व				परिसम्पत्तियां			
विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2021 तक	प्रतिशत वृद्धि / कमी	विवरण	31 मार्च 2020 तक	31 मार्च 2021 तक	प्रतिशत वृद्धि / कमी
संचित निधि							
अ	आंतरिक ऋण	4,05,048.84	4,58,552.23	13.21	अ	सकल पूंजीगत परिव्यय	8.98
ब	भारत सरकार से ऋण और अग्रिम	11,528.75	18,106.74	57.06	ब	ऋण और अग्रिम	0.07
आकस्मिकता निधि							
	आकस्मिकता निधि (कार्पस)	600.00	600.00	0.00		आकस्मिकता निधि (गेर प्रतिपूर्ति)	-
लोक लेखा							
अ	लघु बचत, भविष्य निधि आदि ।	57,727.01	58,789.41	1.84	अ	अग्रिम	0.26
ब	निक्षेप	23,581.17	25,496.10	8.12	ब	प्रेषण	-
स	आरक्षित निधि	4,526.25	5,027.19	11.07	स	उचन्त एवं विविध कोष	(-)34.58
द	प्रेषण	200.41	0.00	(-)100.00	द	नकद अवशेष (निर्धारित निधि द्वारा निवेश सहित)	47.61
य	व्यय से अधिक प्राप्तियों का संचयी आधिक्य	1,32,253.00	1,29,885.87	(-)1.79	य	प्राप्तियों से अधिक व्यय का संचयी आधिक्य	-
योग		6,35,465.43	6,96,457.54		योग		

स्रोत: वित्त लेखे 2020-21

यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 के अनुसार, कुल दायित्व का अर्थ राज्य की संचित निधि और राज्य के लोक लेखे के अन्तर्गत दायित्व है। 31 मार्च 2020 को राज्य का कुल दायित्व ₹ 5,02,412.02 करोड़ था जो 31 मार्च 2021 को बढ़कर ₹ 5,64,971.68 करोड़ हो गया। पिछले वर्ष की तुलना में बाजार ऋण में 22 प्रतिशत (₹ 63,499.68 करोड़) एवं भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में 57 प्रतिशत (₹ 6,578 करोड़) की देयताओं में वृद्धि मुख्य योगदान कारक था। यद्यपि, भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम में वृद्धि में जीएसटी क्षतिपूर्ति के बदले ₹ 6,007.00 करोड़ का बैंक-टू-बैंक ऋण शामिल था, जिसकी अदायगी की देयता नहीं है क्योंकि इसे जीएसटी क्षतिपूर्ति निधि में उपकर के संग्रह से चुकाया जाना है। राज्य सरकार के ऋण प्रबंधन का विवरण इस प्रतिवेदन के अध्याय II में दिया गया है।

1.5 राजकोषीय अवशेष: घाटे और कुल ऋण लक्ष्यों की उपलब्धि

उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन, (यूपीएफआरबीएम) अधिनियम, 2004 को एक मध्यम अवधि में राजस्व घाटे को समाप्त कर, राजकोषीय घाटे को कम करके अच्छा ऋण प्रबंधन स्थापित कर एवं राज्य सरकार

के राजकोषीय संचालन की पारदर्शिता में सुधार कर एक मध्यम अवधि राजकोषीय ढाँचा प्रयोग करने के उद्देश्य से अधिनियमित किया था। इस संदर्भ में यह अधिनियम घाटे के उपायों और ऋण स्तर के सम्बन्ध में राज्य द्वारा अनुपालन किए जाने वाले मात्रात्मक लक्ष्य प्रदान करता है।

समय-समय पर संशोधित यूपीएफआरबीएम अधिनियम में दिए गए प्रमुख राजकोषीय संकेतकों के अंतर्गत राज्य का 2016-21 की अवधि में प्रदर्शन तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: यूपीएफआरबीएम अधिनियम के प्रावधानों का अनुपालन

राजकोषीय मापदण्ड	अधिनियम में निर्धारित राजकोषीय लक्ष्य	उपलब्धि (₹ करोड़ में)				
		2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
राजस्व घाटा (-) / अधिशेष (+) (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2009 को समाप्त होने वाले वर्ष तक शून्य राजस्व घाटा	20,283	12,552	28,250	67,560	(-)2,367
		✓	✓	✓	✓	X
राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+) (जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में)	2019-20 तक अनुमानित जीएसडीपी के तीन प्रतिशत एवं 2020-21 के लिए पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं	(-) 41,187 ¹⁰ (3.20)	(-) 27,810 (1.96)	(-) 35,203 (2.22)	11,083 (0.66)	(-) 54,622 (3.20)
		X	✓	✓	✓	✓
कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (प्रतिशत में)	2016-17 के दौरान 31 प्रतिशत, 2017-18 एवं 2018-19 के दौरान 30.50 प्रतिशत एवं 2019-20 के दौरान 30.00 प्रतिशत एवं 2020-21 के दौरान 32.00 प्रतिशत से अधिक नहीं।	31.69	33.04	32.69	29.77	32.77*
		X	X	X	✓	X

स्रोत: राज्य सरकार के बजट अभिलेख, समय-समय पर संशोधित यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 एवं सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

* वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले भारत सरकार से प्राप्त ₹6,007 करोड़ के बैंक-टू-बैंक ऋण को जीएसडीपी से बकाया ऋण के अनुपात की गणना के लिए हटाया गया है। भारत सरकार के स्पष्टीकरण¹¹ के अनुसार, इस उधार को किसी भी मानदंड जो कि वित्त आयोग आदि द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, के लिए राज्य के ऋण के रूप में नहीं माना जाएगा।

चूँकि कोविड-19 महामारी ने राज्य एवं केंद्र के संसाधनों को बुरी तरह प्रभावित किया अतः भारत सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए राज्य सरकार को जीएसडीपी के दो प्रतिशत की सीमा के अतिरिक्त उधार अनुमन्य किया। तदनुसार, यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 को वर्ष 2020-21 के लिए राजकोषीय घाटे की सीमा जीएसडीपी के तीन प्रतिशत से बढ़ाकर जीएसडीपी के पाँच प्रतिशत करने हेतु संशोधित (अगस्त 2020) किया गया।

जैसा कि लेखे में दर्शाया गया है राजकोषीय घाटे का जीएसडीपी से अनुपात यूपीएफआरबीएम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 के पाँच प्रतिशत लक्ष्य की सीमा के अंदर था। तथापि, राज्य वर्ष 2020-21 के दौरान राजस्व अधिशेष के अपने लक्ष्य को बनाए नहीं रख सका। अग्रेतर, वर्ष 2020-21 के लिए कुल बकाया ऋण का जीएसडीपी से अनुपात (32.77 प्रतिशत) यूपीएफआरबीएम (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2020 में वर्णित सीमा (जीएसडीपी का 32.00 प्रतिशत) के अन्दर नहीं था।

¹⁰ 2016-17 के दौरान राजकोषीय घाटा एवं कुल लम्बित ऋण उज्ज्वल डिस्कॉम एस्योरेन्स योजना (उदय) के अंतर्गत ₹ 14,801 करोड़ के उधार को सम्मिलित नहीं किया गया है जैसाकि उदय के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा उदय हेतु लिये गए ऋण की राज्य की राजकोषीय घाटा सीमा में गणना नहीं की जाएगी। उदय हेतु लिए गए ऋण को सम्मिलित करके राजकोषीय घाटा एवं बकाया ऋण का जीएसडीपी से प्रतिशत क्रमशः 4.34 प्रतिशत एवं 32.84 प्रतिशत था।

¹¹ भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग पत्र सं-फ.स.-40(1) पी.एफ.-एस/2021-22 दिनांक 10 दिसंबर 2021

1.5.1 मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति

यूपीएफआरबीएम अधिनियम, 2004 प्रावधानित करता है कि राज्य सरकार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में विधानमंडल के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक बजट के साथ एक मध्यम अवधि राजकोषीय पुनर्गठन नीति (एमटीएफआरपी) रखेगी। एमटीएफआरपी निहित पूर्व धारणाओं के विनिर्देश के साथ निर्धारित वित्तीय संकेतकों के लिए पंचवर्षीय रोलिंग लक्ष्य निर्धारित करेगी।

1.5.2 राजकोषीय मानकों की तुलनात्मक स्थिति: एमटीएफआरपी में अनुमानित के सापेक्ष वास्तविक

राज्य विधानमंडल को प्रस्तुत एमटीएफआरपी 2020 में अनुमानित राजकोषीय मापदंडों हेतु लक्ष्यों के सापेक्ष वर्ष 2020-21 के वास्तविकों की तुलना तालिका 1.6 में दर्शायी गई है:

तालिका 1.6: एमटीएफआरपी में अनुमान के सापेक्ष 2020-21 के वास्तविक आंकड़े

(₹ करोड़ में)

क्रम सं०	राजकोषीय चर मदें	एमटीएफआरपी के अनुसार अनुमान	वास्तविक (2020-21)	विचलन (प्रतिशत में)
1	स्वयं का कर राजस्व	1,66,021.00	1,19,897.30	(-)27.78
2	करेतर राजस्व	31,178.93	11,846.15	(-)62.01
3	संघीय करों/ शुल्कों का अंश	1,52,863.17	1,06,687.01	(-)30.21
4	भारत सरकार से सहायता अनुदान	72,504.73	57,745.87	(-)20.36
5	राजस्व प्राप्ति (1+2+3+4)	4,22,567.83	2,96,176.33	(-)29.91
6	राजस्व व्यय	3,95,116.95	2,98,543.46	(-)24.44
7	राजस्व घाटा (-)/ अधिशेष (+)	27,450.88	(-)2,367.13	(-)108.62
8	राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+)	(-)53,195.46	(-)54,622.11	2.68
9	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)	(-)15,104.20	(-)17,193.63	13.83
10	ऋण स्टॉक-जीएसडीपी अनुपात (प्रतिशत)	28.82	32.77*	13.71
11	वर्तमान मूल्यों पर जीएसडीपी वृद्धि दर (प्रतिशत) ¹²	6.00	1.05	(-) 82.50

स्रोत: वित्त लेखे 2020-21 एवं राज्य सरकार के बजट अभिलेख।

*ऋण स्टॉक का जीएसडीपी से अनुपात भारत सरकार से जीएसटी क्षतिपूर्ति के रूप में वर्ष 2020-21 के दौरान मिले ₹ 6,007 करोड़ के बैंक-टू-बैंक लोन को हटाने के बाद निकाला गया है।

जैसा कि तालिका 1.6 में बताया गया है, 2020-21 के लिए एमटीएफआरपी में ₹ 27,450.88 करोड़ के राजस्व अधिशेष के अनुमान के सापेक्ष, राज्य ने वर्ष के दौरान ₹ 2,367.13 करोड़ का राजस्व घाटा दर्ज किया है। राजस्व प्राप्तियों में एमटीएफआरपी अनुमानों से ₹ 1,26,391.50 करोड़ (29.91 प्रतिशत) की कमी थी, जो कि एमटीएफआरपी अनुमानों की तुलना में स्वयं के कर राजस्व (₹ 46,123.70 करोड़), केंद्रीय करों/ शुल्कों का अंश (₹ 46,176.16 करोड़) एवं भारत सरकार से सहायता अनुदान (₹ 14,758.86 करोड़) की कम प्राप्तियों के कारण था। आगे के विश्लेषण से विदित हुआ कि बजट अनुमानों की तुलना में स्वयं के कर राजस्व में कमी मुख्य रूप से राज्य वस्तु एवं सेवा कर (₹ 20,421 करोड़), इसके बाद राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 7,439 करोड़), स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क (₹ 6,722 करोड़), बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 6,160 करोड़), विद्युत कर एवं शुल्क (₹ 2,663 करोड़), वाहनों पर कर (₹ 2,167 करोड़) एवं भू-राजस्व (₹ 559 करोड़) के अंतर्गत थी।

एमटीएफआरपी अनुमानों की तुलना में कम राजस्व व्यय (₹ 96,573 करोड़) सभी चार क्षेत्रों: सामान्य सेवाएं (₹ 50,658 करोड़), सामाजिक सेवाएं (₹ 27,752 करोड़), आर्थिक


¹² एमटीएफआरपी 2020 में राज्य सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए ₹ 17,91,263 करोड़ जीएसडीपी एवं वर्ष 2019-20 के पुनरीक्षित अनुमान ₹ 16,89,871 करोड़ का अनुमान लगाया था।

सेवाएं (₹ 16,871 करोड़) एवं सहायता अनुदान एवं अंशदान (₹ 1,292 करोड़) में कम व्यय के कारण था। राजस्व व्यय की प्रवृत्ति का विश्लेषण प्रतिवेदन के प्रस्तर 2.7.2 में किया गया है।

1.5.3 प्रमुख राजकोषीय संकेतकों की प्रवृत्ति का विश्लेषण

2016–21 अवधि हेतु मुख्य राजकोषीय संकेतकों जैसे घाटा मापदंडों (राजकोषीय घाटा/अधिशेष, राजस्व घाटा/अधिशेष एवं प्राथमिक घाटा/अधिशेष), अधिशेष/घाटे का जीएसडीपी से एवं राजकोषीय देयताओं के जीएसडीपी से अनुपात की प्रवृत्ति विश्लेषण को निम्नलिखित चार्ट 1.4 से 1.6 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.4: अधिशेष/घाटे के मानकों में प्रवृत्ति



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

नोट: (i) वर्ष 2016–17 के दौरान राजस्व घाटा एवं राजकोषीय घाटा उदय पर व्यय को हटाकर है, क्योंकि राज्य सरकार द्वारा लिए गए ऋण को राज्य के राजकोषीय घाटे की सीमा के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा।


(ii) वर्ष 2019–20 के दौरान राजस्व अधिशेष, प्राथमिक अधिशेष एवं राजकोषीय अधिशेष मुख्य रूप से मार्च 2020 में निक्षेप निधि के ₹ 71,180 करोड़ के पुस्तकीय अवशेष को बिना वास्तविक नकद प्राप्ति के गैर कर राजस्व में स्थानांतरित करने के कारण थे।

चार्ट 1.5: जीएसडीपी के सापेक्ष अधिशेष/घाटे में प्रवृत्ति



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

चार्ट 1.6: राजकोषीय देयताओं¹³ एवं जीएसडीपी की प्रवृत्ति



स्रोत: सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे

2016-19 की अवधि में राज्य की लम्बित राजकोषीय देयताओं में ₹ 94,871 करोड़ (22.42 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2019-20 के दौरान यद्यपि यह पिछले वर्ष की तुलना में 3.03 प्रतिशत (₹ 15,683 करोड़) घटकर ₹ 5,18,095 करोड़ से ₹ 5,02,412 करोड़ हो गयी। अग्रेतर, वर्ष 2020-21 के दौरान, राज्य की लम्बित राजकोषीय देयदारियों में पिछले वर्ष की तुलना में ₹ 62,560 करोड़ (12.45 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। 2016-21 की अवधि के दौरान प्रति व्यक्ति औसत ऋण¹⁴ 26.57 प्रतिशत उल्लेखनीय रूप से बढ़कर ₹ 19,432 (2016-17) से ₹ 24,596 (2020-21) हो गया। यद्यपि, 31 मार्च 2021 को ₹ 5,64,972 करोड़ की लम्बित देयताओं के सापेक्ष वर्ष 2020-21 की अवधि में जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के अंतर्गत राज्य की पुनर्भुगतान की कोई देयता ना होने हेतु भारत सरकार से बैंक-टू-बैंक लोन के रूप में मिले ₹ 6,007 करोड़ को अलग करने के बाद राज्य की प्रभावी राजकोषीय देयताएं ₹ 5,58,965 करोड़ थी।

1.6 लेखापरीक्षा जांचोपरांत घाटा और कुल ऋण

राज्य के वित्तीय स्वास्थ्य का आकलन करने में घाटा एवं ऋण की स्थिति, दो महत्वपूर्ण राजकोषीय संकेतक हैं। इन संकेतकों को अन्य हितधारकों यथा संघ सरकार, वित्तीय संस्थान, बैंकों आदि द्वारा अनुदान/ऋण आदि के रूप में कोई अग्रेतर वित्तीय सहायता प्रदान करते समय भी गम्भीरता से देखा जाता है। राज्य के वित्त का उत्तम चित्रण करने हेतु राजस्व व्यय का पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकरण एवं गैर बजट राजकोषीय परिचालन करना जैसा लेखापरीक्षा के संज्ञान में आया है, निम्नलिखित प्रस्तर में उल्लिखित है।

¹³ राजकोषीय देयताओं में सम्बन्धित वर्षों के वित्त लेखे के आँकड़ों से समानता हेतु वर्ष 2016-17 में उदय हेतु ऋण एवं वर्ष 2020-21 में जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले बैंक-टू-बैंक लोन सम्मिलित है। तथापि, चार्ट में कुल ऋण का जीएसडीपी से प्रतिशत वर्ष 2016-17 के उदय ऋण तथा वर्ष 2020-21 के जीएसटी क्षतिपूर्ति की कमी के बदले बैंक-टू-बैंक लोन शामिल नहीं है।

¹⁴ ऋण को विगत कैलेण्डर वर्ष की जनसंख्या से भाग देकर; विशिष्ट कैलेण्डर वर्ष में जनसंख्या उस वर्ष अक्टूबर के प्रथम दिवस की है।

1.6.1 लेखापरीक्षा के उपरान्त – घाटा/अधिशेष

कुछ प्रकरणों यथा राजस्व व्यय का पूँजीगत एवं विपरीत रूप से ग़लत वर्गीकरण, 'उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि' में राशि का हस्तांतरण न करना, ब्याज सहित आरक्षित निधियों में ब्याज का जमा न किया जाना आदि जिनकी चर्चा प्रतिवेदन के उत्तरगामी अध्यायों में की गई है, उनका वित्त लेखा 2020-21 में दर्शाए गए राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव पड़ा है। वास्तविक घाटे के आंकड़ों पर पहुंचने के लिए, उपरोक्त प्रकरणों के प्रभाव को समाहित करने एवं वास्तविक घाटे का पता लगाने के लिए उचित रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है।

उपरोक्त प्रकरणों के प्रभाव के परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 में राजस्व घाटे और राजकोषीय घाटे में क्रमशः ₹ 1,650.70 करोड़ और ₹ 1,565.32 करोड़ की न्यूनोक्ति हुई है जिसे तालिका 1.7 में आगणित किया गया है और लेखापरीक्षा प्रभाव का परिणाम तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: लेखापरीक्षा जांच के बाद राजस्व और राजकोषीय घाटा

(₹ करोड़ में)

विवरण	राजस्व घाटे पर प्रभाव		राजकोषीय घाटे पर प्रभाव	
	अतिरेक	न्यूनोक्ति	अतिरेक	न्यूनोक्ति
1	2	3	4	5
राज्य आपदा अनुक्रिया निधि में कम अंतरण एवं निधि में देय ब्याज जमा नहीं करना (प्रस्तर 2.8.2.3 में सन्दर्भित)	-	1,380.24	-	1,380.24
राज्य प्रतिपूरक वनरोपण निधि में ब्याज जमा न किया जाना (प्रस्तर 2.8.2.5 में सन्दर्भित)	-	59.75	-	59.75
राजस्व से पूँजीगत एवं विपरीततः व्यय का त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण (प्रस्तर 3.2.2.1 एवं 3.2.2.2 में सन्दर्भित)	1.19	86.57	-	-
परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना के शेष पर ब्याज जमा न किया जाना (प्रस्तर 4.3 में सन्दर्भित)	-	24.90	-	24.90
उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन दुर्घटना राहत निधि का गठन न किया जाना जिसके कारण निधि में राशि का हस्तांतरण नहीं हुआ (प्रस्तर 4.4 में सन्दर्भित)	-	100.43	-	100.43
योग	1.19	1,651.89	-	1,565.32
शुद्ध प्रभाव	₹ 1,650.70 करोड़ (राजस्व घाटे की न्यूनोक्ति)		₹ 1,565.32 करोड़ (राजकोषीय घाटे की न्यूनोक्ति)	

स्रोत: वित्त लेखे 2020-21 और लेखापरीक्षा विश्लेषण।

तालिका 1.8: लेखापरीक्षा प्रभाव का परिणाम

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	विवरण	लेखे के अनुसार	न्यूनोक्ति	वास्तविक/लेखापरीक्षा जांच के बाद
1	2	3	4	5 = 3-4
1	राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-)	(-) 2,367.13	1,650.70	(-) 4,017.83
2	राजकोषीय अधिशेष (+)/घाटा (-)	(-) 54,622.11	1,565.32	(-) 56,187.43

स्रोत: लेखापरीक्षा विश्लेषण।

1.6.2 लेखापरीक्षा के उपरान्त – कुल लोक ऋण

ऋणों के सामान्य घटकों यथा बाजार ऋण, वित्तीय संस्थानों/बैंकों से ऋण आदि के अतिरिक्त 'कुल बकाया लोक ऋण' की व्यापक परिभाषा में गैर-बजट ऋण भी सम्मिलित हैं। गैर-बजट ऋण या गैर-बजट वित्तपोषण सामान्यतः किसी विशेष वर्ष या

वर्षों में व्यय की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु सरकार द्वारा उन वित्तीय संसाधनों के उपयोग को संदर्भित करता है, जो उस वर्ष/उन वर्षों के बजट में अनुदान/विनियोग प्राप्त करने के लिए प्रतिबिंबित नहीं होते हैं, अतः विधायी नियंत्रण से बाहर रहते हैं। उन्हें सरकार के स्वामित्व या नियन्त्रण वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या विभागीय वाणिज्यिक उपक्रमों के माध्यम से वित्तपोषित किया जाता है, जो सरकार की ओर से बाजार ऋण के माध्यम से संसाधन जुटाते हैं। तथापि, सरकार को अपने बजट से ऋणों का पुनर्भुगतान करना होता है। इसलिए, गैर-बजट ऋणों के भुगतान/वित्तपोषण में बजट से ब्याज का भुगतान और ऋणों का पुनर्भुगतान, जैसे और जब वह देय हों, सम्मिलित होता है।

राज्य सरकार, ऐसे ऋणों के पुनर्भुगतान के लिए उत्तरदायी होने पर भी, राज्य सरकार के विभिन्न पीएसयू/निगमों/अन्य निकायों के माध्यम से ऋणों को बजट से बाहर प्रदर्शित कर नियत निर्धारित शुद्ध ऋण सीमा की उपेक्षा कर सकती है। जिससे गैर बजट ऋणों का राजस्व घाटे एवं राजकोषीय घाटे पर प्रभाव पड़ता है। बजट में प्रकट किए बिना ऐसे देयताओं का सृजन पारदर्शिता और अन्तर-पीढ़ीगत साम्यता दोनों पर प्रश्नचिह्न उठाता है। ऐसे गैर-बजट ऋणों को बजट अभिलेखों में प्रकटीकरण विवरणों या लेखे में नहीं लिया जाता है और न ही उन्हें विधायी स्वीकृति प्राप्त होती है।

लेखापरीक्षा की जांच से पाया गया कि 2017-19 की अवधि में राज्य सरकार ने ₹ 8,716.40 करोड़ के गैर बजट ऋण का सहारा लिया। इस प्रकरण पर प्रतिवेदन के प्रस्तर 4.2 में विस्तार से चर्चा की गई है। इस गैर-बजट ऋण में से, ₹ 7,079.51 करोड़ राज्य सरकार से प्राप्त वित्तीय सहायता के माध्यम से 2017-21 की अवधि के दौरान संबंधित पीएसयू/प्राधिकरणों द्वारा चुकाए गए। ₹ 1,636.89 करोड़ के बकाया गैर-बजट ऋण का राज्य के समग्र ऋण स्टॉक पर प्रभाव है जैसा कि तालिका 1.9 में दिया गया है।

तालिका 1.9: लेखापरीक्षा द्वारा जांच के उपरान्त समग्र ऋण

क्रम संख्या	विवरण	धनराशि (₹ करोड़ में)	जीएसडीपी का प्रतिशत
1.	लेखे के अनुसार समग्र ऋण (31.03.2021 को)	5,64,971.68*	32.77*
2.	गैर-बजटीय ऋण के कारण ऋण की न्यूनोक्ति (प्रस्तर 4.2 में सन्दर्भित)	1,636.89	0.10
	योग	5,66,608.57	32.87

स्रोत: वित्त लेखे 2020-21 एवं संबंधित पीएसयू/प्राधिकरणों द्वारा प्रदत्त सूचनार्थ

*वर्ष 2020-21 के दौरान जीएसटी क्षतिपूर्ति कमी के बदले भारत सरकार से प्राप्त हुए ₹ 6,007 करोड़ के बैंक-टू-बैंक लोन, जिसकी राज्य की पुनर्भुगतान देयता नहीं है, को अलग करने के बाद प्रभावी लम्बित समग्र ऋण ₹ 5,58,964.68 करोड़ होगा।

तालिका 1.9 से यह स्पष्ट है कि गैर-बजट ऋणों के कारण जीएसडीपी से ऋण-स्टाक का अनुपात 32.77 प्रतिशत से बढ़कर 32.87 प्रतिशत हो गया है।